रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1229] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 11, 2007/आश्विन 19, 1929

No. 1229] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 11, 2007/ASVINA 19, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2007

का.आ. 1735(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस ई आई ए ए), हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश कहा गया है) का गठन करती है जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित तीन सदस्य अर्थात् अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव समाविष्ट होंगे, जो निम्नलिखित हैं :-

1. श्री ए0के0 गोस्वामी, आई ए एस सेवानिवृत मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, सदस्य, बी आई एफ आर, जवाहर व्यापार भवन, , टोलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001 —अध्यक्ष, पर्यावरण गुणवत्ता
2. डा0जे0 एम0 जुल्का, सेवानिवृत संयुक्त निदेशक, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, इस समय निदेशक (आयोजना), शालिनी इंस्टीट्यूट आफ लाइफ साइंसेज एंड बिजेनस मैनेजमेंट सोलन, जुल्का काटेज, टैंक रोड, सोलन- 173212 (हिमाचल प्रदेश) —सदस्य, जीव विज्ञान
3. निदेशक, पर्यावरण, हिमाचल प्रदेश सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार , शिमला-171001 —सदस्य-सचिव

2. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष होगी ।

3. प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो अधिसूचना संख्याक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में दी गई है ।

4. प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश इस आदेश में हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस ई ए सी) की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय देगी ।

5. हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार अभिकरण को प्राधिकरण के सचिवालय के रुप में कार्य करने के लिए अधिसूचित करेगी और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत आवास सुविधा, परिवहन, और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी । प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नियमानुसार संदत्त होगा ।

6. उक्त प्राधिकरण की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति,हिमाचल प्रदेश का गठन करती है (जिसे इसमें इसके पश्चात् एस ई ए सी कहा गया है) जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे :-

1	श्री हरिन्द्र चंद ठाकुर, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, हिमाचल प्रदेश सरकार, गांव और डाक-नागर, जिला कुल्लु, हिमाचल प्रदेश- 175130	—अध्यक्ष, परियोजना प्रबंधन
2	डा0 आर0 एम0 भगत, मृदा प्रोफेसर और कार्यक्रम निदेशक, सेन्टर फॉर जीओ-इन्फोर्मेटिक्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सी, एस के एच पी, कृषि विश्व विद्यालय, पालमपुर- 176062, हिमाचल प्रदेश	—सदस्य, परियोजना प्रबंधन
3	डा0 दिलीप सिंह ठाकुर, डीन, फैकल्टी ऑफ शोसल साइंसेज, अर्थशास्त्र विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविधालय , शिमला- 171005	—सदस्य, पर्यावरण अर्थशास्त्र
4	डा0 एन0एस0 चौहान, प्रौफेसर और हैड, वनोत्पाद विभाग, डॉ0 वाई एस परमार युनिवर्सिटी ऑफ हार्टीकल्चर एंड फारेस्ट्री नूनी, शोलन, हिमाचल प्रदेश-173230	—सदस्य, जीव विज्ञान
5	डॉ0 बी0बी0 कंवर, मृदा विज्ञान (एक्सटेंशन) प्रौफेसर, डायरक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एज्यूकेशन, सी एस के, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर-176062 हिमाचल प्रदेश	—सदस्य, पर्यावरण गुणता

6 श्री के0सी0 शर्मा —सदस्य, वानिकी और वन्यजीव
सेवानिवृत आई एफ एस, (वन संरक्षक)
कसुम्पती शिमला, हिमाचल प्रदेश-171009

7 डॉ0 सुरेश सी0 अत्री, —सचिव
वरिष्ठ पर्यावरण अधिकार, राज्य पर्यावरण नियोजन इकाई, एच पी एस सी एस टी एंड ई, 34, एस डी ए काम्पलैक्स, कसुम्पती, शिमला- 171009

7. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष होगी और एस ई ए सी, हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुर्नगठन किया जाएगा ।

8. एस ई ए सी, हिमाचल प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 में दी हैं ।

9. एस ई ए सी, हिमाचल प्रदेश सामूहिक दायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी । अध्यक्ष, प्रत्येक मामले में एकमत होने का प्रयास करेगा और यदि एकमत नहीं हो सकता तो बहुमत का विचार अभिभावी होगा ।

10. हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार, अभिकरण को एस ई ए सी, हिमाचल प्रदेश के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित करेगा और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा, परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवायेगी । एस ई ए सी के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[सं. जे-11013/15/2007-आई ए-II(I)]
रा. आनन्दकुमार, वैज्ञानिक "जी"

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION

New Delhi, the 11 October, 2007

S.O. 1735 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the Government of India notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Authority, Himachal Pradesh) comprising of three members namely, Chairman, Member and Member Secretary nominated by the State Government of Himachal Pradesh as under:

1. Sh. A.K. Goswami, IAS —Chairman, Environment Quality
Retd. Chief Secretary, Govt. of Himachal Pradesh, Member BIFR, Jawahar Vyapar Bhawan, 1, Tolstoy Marg, New Delhi- 110 001

2.	Dr. J.M. Julka, Retd. Joint Director, Zoological Survey of India, Currently Director (Planning), Shoolini Instt. of Life Sciences and Business Management, Solan, Julka Cottage, Tank Road, Solan- 173 212 (HP).	—Member, Life Sciences
3.	Director, Environment to Government of Himachal Pradesh, Department of Science Technology and Environment Government of Himachal Pradesh Shimla- 171 001	—Member Secretary

2. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Himachal Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006.

4. The Authority, Himachal Pradesh shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted for the State of Himachal Pradesh in this order.

5. The State Government of Himachal Pradesh shall notify the agency to act as secretariat for the Authority and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions. Sitting fee, Travelling Allowance / Dearness Allowance to the Chairman and Member of the Authority shall be paid by the State Government of Himachal Pradesh as per State rules.

6. To assist the said Authority, the Central Government, in consultation with the State Government of Himachal Pradesh, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as SEAC), which shall comprise the following Members:

1.	Sh. Harinder Chand Thakur, Retd. Chief Engineer, Govt. of HP, Vill. & P.O. Naggar, Distt. Kullu, H.P- 175 130	—Chairman, Project Management
2	Dr. R.M. Bhagat, Professor of Soils and Programme Director, Centre for Geo- informatics Research and Training, CSK HP Agricultutal University, Palampur- 176 062 HP	—Member, Project Management
3	Dr. Dalip Singh Thakur, Dean, Faculty of Social Sciences, Department of Economics, H.P. University, Shimla- 171 005	—Member, Environment Economics
4	Dr. N.S. Chauhan, Professor and Head, Deptt. of Forest Products, Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan, H.P- 173 230	—Member, Life Science

5	Dr. B.B. Kanwar, Professor Soil Science (Extension), Directorate of Extension Education, CSK, Himachal Pracesh Krishi Vidyalaya, Palampur-176 062 (H.P)	—Member, Environment Quality
6	Sh. K.C. Sharma, Retired IFS (Conservator of Forests), Kasumpti, Shimla, H.P- 171 009	—Member, Forestry and Wildlife
7	Dr. Suresh C. Attri, Sr. Environment Officer, State Environment Planning Unit, HP SCST&E , 34, SDA Complex, Kusumpti, Shimla- 171 009	Secretary

7. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and SEAC, Himachal Pradesh shall be reconstituted after every three years.

8. The SEAC, Himachal Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006.

9. The SEAC, Himachal Pradesh shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. The State Government of Himachal Pradesh shall notify the agency to act as secretariat for the SEAC, Himachal Pradesh and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect to all its statutory functions. Sitting fee, Travelling Allowance / Dearness Allowance, to the Chairman and Members of the SEAC shall be paid by the State Government of Himachal Pradesh as per State rules.

[No. J-11013/15/2007-IA.II(I)]

R. ANANDAKUMAR, Scientist "G"

Printed by the Manager, Govt. Of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054